https://abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257008
CG-DL-E-09092024-257008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946
No. 506] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 548(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (कग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (सयोजन का मापदण्ड) नियम, 2024 है।

(2) ये 10 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **संयोजन का मापदंड.-** (1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, संयोजन के पक्षकार, उनकी संबंधित समूह संस्थाएँ और संबद्ध संस्थाएं जो निम्नलिखित मापदण्डों को पूरा करते है, उस उपधारा के अधीन ऐसे संयोजन के लिए नोटिस दे सकते है, अर्थात् :-

https://abcaus.in

(क) वे समान या समरूप या प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद या सेवा का उत्पादन या प्रदान नहीं करते हैं;

(ख) वे उत्पाद या सेवा के उपबंध में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा या व्यापार से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से संबद्ध नहीं हैं.-

(i) जो उत्पादन के विभिन्न चरण या स्तर पर हैं; या

(ii) जो एक दूसरे के पूरक हैं।

(2) इन नियमों में,-

(क) संयोजन के पक्ष और उनकी संबंधित समूह ईकाइयों से अभिप्रेत है:

(i) अधिग्रहणकर्ता और एक ही समूह का हिस्सा बनने वाली अन्य ईकाइयों का अंतिम नियंत्रण व्यक्ति;

(ii) उद्यम का अधिग्रहण किया जा रहा है और इसकी डाउनस्ट्रीम ईकाइयों इसके समूह का हिस्सा हैं;

(iii) उद्यमों का विलय या समामेलन किया जा रहा है, उनके नियंत्रण व्यक्ति और ईकाइयों उनके समूह का हिस्सा हैं।

(ख) एक उद्यम को दूसरे उद्यम का सहयोगी माना जाता है यदि उस दूसरे उद्यम के पास:

(i) उस उद्यम की दस प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता या मताधिकार हैं; या

(ii) उद्यम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार या क्षमता है; या

(iii) उद्यम की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का अधिकार या क्षमता है।

[फा. सं. कॉम्प-05/4/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 548 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (ac) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Competition (Criteria of Combination) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the 10th day of September, 2024.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003).

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Criteria of Combination.— (1) For the purposes of sub-section (4) of section 6 of the Act, the parties to a combination, their respective group entities and their affiliates who fulfils the following criteria, may give notice for such combination under that sub-section, namely: -

https://abcaus.in

(a) they do not produce or provide similar or identical or substitutable product or service;

(b) they are not engaged in any activity relating to production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in product or provision of service,–

(i) which are at different stage or level of production; or

(ii) which are complementary to each other.

(2). In these rules,—

(a) the parties to the combination and their respective group entities means—

(i) the ultimate controlling person of the acquirer and other entities forming part of the same group;

(ii) the enterprise being acquired and its downstream entities forming part of its group;

(iii) enterprises being merged or amalgamated, their controlling persons, and entities forming part of their group.

(b) an enterprise is considered to be an affiliate of another enterprise if that another enterprise has–

(i) ten per cent. or more of the shareholding or voting rights of the enterprise; or

(ii) right or ability to have a representation on the board of directors of the enterprise either as a director or as an observer; or

(iii) right or ability to access commercially sensitive information of the enterprise.

[F. No. Comp-05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.09.09 16:13:37 +05'30'

https://abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257007
CG-DL-E-09092024-257007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946
No. 505] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 547(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (आस्तियों या आर्वत का न्यूनतम मूल्य) नियम, 2024 है।

   (2) ये 10 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है।

   (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

https://abcaus.in

3. आस्तियों और आर्वत का न्यूनतम मूल्य.- अधिनियम की धारा 5 के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) आस्तियों का मूल्य चार सौ पचास करोड़ रुपये होगा; और

(ख) आर्वत का मूल्य एक हजार दो सो पचास करोड़ रुपये होगा।

[फा. सं. कॉम्प-05/4/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 547(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules namely:–

1. **Short title and commencement.––** (1) These rules may be called the Competition (Minimum Value of Assets or Turnover) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the 10th day of September, 2024.

2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003).

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. **Minimum Value of Assets and Turnover**.— For the purposes of clause (e) of section 5 of the Act,—

(a) the value of assets shall be rupees four hundred and fifty crore; and

(b) the value of turnover shall be rupees one thousand two hundred and fifty crore.

[F.No. Comp-05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA

https://abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257009
CG-DL-E-09092024-257009

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]	नई दिल्ली सोमवार , सितम्बर 9, 2024/ भाद्र 18, 1946
No. 507]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/ BHADRA 18, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा. का. नि. 549 (अ) –केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (कघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (संयोजनों की छूट के लिए मापदण्ड) नियम, 2024 है।

(2) ये 10 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;

(ii) "अनुसूची" से इन नियमों से जुडी अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. संयोजनों की श्रेणियों की छूट के लिए मापदंड.- अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2), (2 क) और (4) के अनुपालन की अपेक्षा से छूट संयोजनों की उन श्रेणियां को होगी जो अनुसूची में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हैं।

अनुसूची

https://abcaus.in

छूट के लिए मापदण्ड

[नियम 3 देखें]

1. एक उद्यम के शेयरों के अर्जन को व्यवसाय की सामान्य व्यवस्था जहां उक्त लेनदेन निम्नानुसार है:

(क.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृतकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा एक हामीदारी करार की वाचा के अनुसार हस्तांतरण पर सदस्यता रहित शेयरों का अर्जन, या भारत के बाहर किसी भी विधि के अधीन स्थापित अन्य समान प्राधिकरण, एक हामीदार के रूप में, जहां तक कुल शेयर या अर्जनकर्ता द्वारा धारित मताधिकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्जनकर्ता को कंपनी के कुल शेयरों या मताधिकारों का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारण करने का अधिकार नहीं देता है जिनमें से शेयरों का अर्जन किया जा रहा है; या

(ख.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल के रूप में शेयरों का अर्जन, या भारत के बाहर समय के लिए लागू होने वाले किसी भी विधि के अधीन स्थापित अन्य समान प्राधिकरण, जहां तक अर्जनकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित कुल शेयर या मताधिकार, अर्जनकर्ता को कंपनी के कुल शेयरों या मताधिकारों का पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारण करने का अधिकार नहीं देता है जिनमें से शेयरों का अर्जन किया जा रहा है; या

(ग.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत म्यूचुअल फंड के रूप में शेयरों का अर्जन, या भारत के बाहर समय के लिए लागू होने वाले किसी भी विधि के अधीन स्थापित अन्य समान प्राधिकरण, जहां तक अर्जनकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित कुल शेयर या मताधिकार, अर्जनकर्ता को कंपनी के कुल शेयरों या मताअधिकारों का दस प्रतिशत से अधिक धारण करने का अधिकार नहीं देता है जिसके शेयरों का अर्जन किया जा रहा है।

2. शेयरों या मताधिकारों का अर्जन पूरी तरह से एक निवेश के रूप में जहां तक कुल शेयरों या अर्जनकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित मताधिकार के रूप में, अर्जनकर्ता को कुल शेयरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक रखने का अधिकार नहीं देता है या कंपनी के मताधिकार, जिनमें से शेयर या मताधिकार अर्जित किए जा रहे हैं, उद्यम के नियंत्रण के अर्जन के लिए अग्रणी नहीं है जिसके शेयर या मताधिकार अर्जित किए जा रहे हैं।

व्याख्या: - नियम (2) में, किसी उद्यम के शेयरों या मताधिकारों के अर्जन को पूरी तरह से एक निवेश के रूप में माना जाएगा जहां -

(क) उक्त अर्जन के अनुसार, अर्जनकर्ता को किसी भी उद्यम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार या क्षमता प्राप्त नहीं होती है;

(ख) उक्त अर्जन के अनुसार, अर्जनकर्ता को किसी भी उद्यम की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का अधिकार या क्षमता प्राप्त नहीं होती है;

(ग) अर्जनकर्ता या उसकी समूह ईकाइयां और उनके सहयोगी इसमें शामिल नहीं हैं-

(i) लक्ष्य या उसके द्वारा प्रस्तावित समान या समरूप या प्रतिस्थापन योग्य उत्पाद या सेवा के उत्पादन से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइयां और उनके संबद्ध;

(ii) उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, बिक्री और सेवा या उत्पाद में व्यापार या सेवा में व्यापार से संबंधित कोई भी कार्यकलाप जो लक्ष्य या उसके कार्यकलापों के लिए उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न चरणों या अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइयां और उनके संबद्ध स्तर पर हैं; या

(iii) उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, बिक्री और सेवा या उत्पाद में व्यापार या सेवा के उपबंध से संबंधित कोई भी कार्यकलाप जो लक्ष्य या अनुप्रवाहगामी समूह ईकाइयां या उनके संबद्ध उसके किसी भी क्रियाकलाप के पूरक हैं:

परन्तु यह कि, जहां अर्जनकर्ता या उसकी समूह ईकाइयां या उनके संबद्ध खंड में उल्लिखित उपरोक्त क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए हैं, अर्जन को पूरी तरह से एक निवेश के रूप में माना जाएगा

https://abcaus.in

यदि इस तरह के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अर्जन के बाद दस प्रतिशत या अधिक शेयर या मताधिकार नहीं होते हैं।

3. अर्जनकर्ता या उसकी समूह ईकाइयों द्वारा एक उद्यम के अतिरिक्त शेयरों या मताधिकारों का अर्जन, जहां अर्जन या उसके समूह ईकाइयों, अर्जन से पहले, उद्यम के शेयर या मताधिकार रखती हैं, लेकिन पच्चीस प्रतिशत से अधिक उद्यम के शेयर या मताधिकार नहीं रखती हैं इस तरह के अर्जन से पहले या बाद में:

परन्तु यह कि -

(i) इस तरह के अर्जन के परिणामस्वरूप अर्जनकर्ता या उसके समूह द्वारा ऐसे उद्यम के नियंत्रण का अर्जन नहीं होता है;

(ii) अर्जन के अनुसार, अर्जनकर्ता या उसके समूह ईकाइयों को किसी भी उद्यम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में या पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार या क्षमता प्राप्त नहीं होती है;

(iii) अर्जन के अनुसार, अर्जनकर्ता या उसकी समूह ईकाइयों को पहली बार किसी भी उद्यम की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने का अधिकार या क्षमता प्राप्त नहीं होती है, सिवाय इसके कि अर्जनकर्ता या उसके समूह ईकाइयों के पास पहले से ही निदेशक के रूप में किसी भी उद्यम के निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार या क्षमता है;

(iv) यदि अर्जनकर्ता या उसके समूह ईकाइयों और उनके सहयोगियों की कार्यकलापों लक्ष्य या उसके डाउनस्ट्रीम समूह ईकाइयों और उनके संबद्धों की कार्यकलापों के साथ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर या पूरक संबंध प्रदर्शित करती हैं, तो एकल अर्जन या छोटे अंतर-संबद्ध अर्जनों की एक श्रृंखला द्वारा अर्जित वृद्धिशील शेयरधारिता या मताधिकार पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है और इस तरह के अर्जन के परिणामस्वरूप अर्जनकर्ता या उसके समूह ईकाइयों के शेयरधारिता या मताधिकार दस प्रतिशत से कम से दस प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत तक नहीं बढ़ते हैं।

4. अर्जनकर्ता या उसके समूह ईकाइयों द्वारा एक उद्यम के अतिरिक्त शेयरों या मतदान मताधिकारों का अर्जन, जहां अर्जन या उसकी समूह ईकाइयों, अर्जन से पहले, पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या उद्यम के मताधिकार रखती हैं, लेकिन उद्यम के शेयरों या मताधिकारों के इस तरह के अर्जन से पहले या बाद में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं रखती हैं :

परन्तु यह कि इस तरह के अर्जन के परिणामस्वरूप ऐसे उद्यम के नियंत्रण में परिवर्तन नहीं होता है।

5. शेयरों या मताधिकारों का अर्जन, जहां अर्जन या उसके समूह की ईकाइयों, अर्जन से पहले, उद्यम में पचास प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार हैं, जिनके शेयर या मताधिकार हासिल किए जा रहे हैं, उन मामलों को छोड़कर जहां लेनदेन के परिणामस्वरूप ऐसे उद्यम के नियंत्रण में परिवर्तन होता है।

6. व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में एक उद्यम की आस्ति का अर्जन: (1) किसी उद्यम की आस्तियों के अधिग्रहण को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के रूप में माना जाएगा परन्तु यह कि उक्त अधिग्रहण में स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चे माल, स्टोर और पुर्जों, व्यापार प्राप्य या अन्य समान वर्तमान आस्तियों का अधिग्रहण शामिल है जो व्यवसाय का गठन नहीं करते हैं।

7. संपत्ति का अधिग्रहण, जो सीधे संपत्ति प्राप्त करने वाली पार्टी के व्यावसायिक कार्यकलाप से संबंधित नहीं है या पूरी तरह से निवेश के रूप में बनाया गया है, उद्यम के नियंत्रण के लिए अग्रणी नहीं है, जिसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, सिवाय इसके कि संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, जहां किसी विशेष स्थान पर या उद्यम के किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त व्यवसाय संचालन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से आस्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, भले ही ऐसी संपत्ति एक अलग विधिक इकाई के रूप में आयोजित की गई हो या नहीं।

8. बोनस निर्गम या स्टॉक विभाजन या शेयरों के अंकित मूल्य के समेकन या शेयरों की पुनर्खरीद या शेयरों के अधिकार जारी करने के लिए सदस्यता के अनुसार शेयरों का अधिग्रहण, नियंत्रण में बदलाव के लिए अग्रणी नहीं है।

9. एक ही समूह के भीतर एक व्यक्ति या उद्यम के किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, उन मामलों को छोड़कर जहां संपत्ति पर नियंत्रण में परिवर्तन होता है।

10. एक ही समूह के भीतर उद्यमों का विलय या समामेलन परन्तु यह कि लेनदेन के परिणामस्वरूप नियंत्रण में परिवर्तन न हो।

https://abcaus.in

11. अधिनियम की धारा 31 के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के अनुसरण और उसके अनुसार क्रेता द्वारा अनुमोदित किसी क्रेता द्वारा शेयरों, नियंत्रण, मताधिकारों या आस्तियों का अर्जन है।

12. एक कंपनी का निर्विलयन और परिणामी कंपनी द्वारा शेयरों का मुद्दा, निर्विलयन के विचार में, या तो निर्विलयन कंपनी को या निर्विलयन कंपनी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में निर्विलयन कंपनी के शेयरधारकों को, आंशिक शेयरों के लिए विचार के निर्वहन को छोड़कर है।

13. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए,-

(1) अर्जनकर्ता और उसकी समूह ईकाइयों से अर्जनकर्ता के अंतिम नियंत्रण व्यक्ति (यों) और एक ही समूह का हिस्सा बनने वाली अन्य ईकाइयों से अभिप्रेत है।

(2) एक निकाय को किसी अन्य उद्यम का सहयोगी निकाय माना जाता है यदि उस अन्य उद्यम में-

(i) उद्यम की दस प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता या मताधिकार है; या

(ii) उद्यम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में या पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार या क्षमता हैं; या

(iii) उद्यम की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी तक पहुँचने का अधिकार या क्षमता है।

[फा. सं. कॉम्प-05/4/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 549(E).– In exercise of the powers conferred by clause (ad) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Competition (Criteria for Exemption of Combinations) Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from the 10^{th} day September, 2024.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(i) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(ii) "Schedule" means the schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Criteria for exemption of categories of Combinations. —the categories of combinations which fulfil the criteria mentioned in the Schedule shall be exempted from the requirement to comply with sub-sections (2), (2A) and (4) of section 6 of the Act.

SCHEDULE

Criteria for exemption

[see rule 3]

1. An acquisition of shares of an enterprise in ordinary course of business where the said transaction is –

(a) an acquisition of unsubscribed shares upon devolvement as per covenant of an underwriting agreement by any person registered with the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or other similar authority established under any law for the time being in force outside India, as an underwriter, in so far as the total shares or voting rights held by the acquirer, directly or indirectly, does not entitle the acquirer to

https://abcaus.in

hold more than twenty-five per cent. of the total shares or voting rights of the company, of which shares are being acquired; or

(b) an acquisition of shares as a stockbroker registered with the Securities and Exchange Board of India, or other similar authority established under any law for the time being in force outside India, in so far as the total shares or voting rights held by the acquirer, directly or indirectly, does not entitle the acquirer to hold more than twenty-five per cent. of the total shares or voting rights of the company, of which shares are being acquired; or

(c) an acquisition of shares as a mutual fund registered with the Securities and Exchange Board of India, or other similar authority established under any law for the time being in force outside India, in so far as the total shares or voting rights held by the acquirer, directly or indirectly, does not entitle the acquirer to hold more than ten per cent. of the total shares or voting rights of the company, of which shares are being acquired.

2. An acquisition of shares or voting rights solely as an investment in so far as the total shares or voting rights held by the acquirer, directly or indirectly, does not entitle the acquirer to hold more than twenty-five per cent. of the total shares or voting rights of the company, of which shares or voting rights are being acquired, not leading to acquisition of control of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired.

Explanation: - In Rule 2, the acquisition of shares or voting rights of an enterprise shall be treated as solely as an investment where —

(a) pursuant to the said acquisition, the acquirer does not gain a right or ability to have a representation on the board of directors of any enterprise either as a director or as an observer;

(b) pursuant to the said acquisition, the acquirer does not gain a right or ability to access commercially sensitive information of any enterprise;

(c) the acquirer or its group entities and their affiliates are not engaged in—

(i) any activity relating to production of similar or identical or substitutable product or service as offered by the target or its downstream group entities and their affiliates;

(ii) any activity relating to production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in product or provision of service which are at different stages or level of production chain to the activities of the target or of its downstream group entities and their affiliates; or

(iii) any activity relating to production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in product or provision of service which are complementary to the activities of the target or any of its downstream group entities or their affiliates:

Provided, where the acquirer or its group entities or their affiliates are engaged in any of the aforesaid activities mentioned in this clause, the acquisition shall be considered to be solely as an investment if such acquisition does not result in the acquirer holding ten per cent. or more shares or voting rights after the acquisition.

3. An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group entities, where the acquirer or its group entities, prior to acquisition, holds shares or voting rights of the enterprise, but does not hold more than twenty-five per cent. of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition:

Provided that —

(i) such acquisition does not result in acquisition of control of such enterprise by the acquirer or its group;

(ii) pursuant to the acquisition, the acquirer or its group entities do not gain a right or ability to have a representation on the board of directors of any enterprise either as a director or as an observer for the first time;

(iii) pursuant to the acquisition, the acquirer or its group entities do not gain a right or ability to access commercially sensitive information of any enterprise for the first time except where the acquirer or its group entities already have right or ability to have a representation on the board of directors of any enterprise as a director;

https://abcaus.in

(iv) in case the activities of the acquirer or its group entities and their affiliates exhibit horizontal or vertical or complementary linkages with the activities of target or its downstream group entities and their affiliates, the incremental shareholding or voting rights acquired by a single acquisition or a series of smaller inter-connected acquisitions does not exceed five per cent. and such acquisition does not result in the shareholding or voting rights of the acquirer or its group entities increasing from less than ten per cent. to ten per cent. or more.

4. An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group entities, where the acquirer or its group entities, prior to acquisition, holds more than twenty-five per cent. shares or voting rights of the enterprise, but does not hold more than fifty per cent. of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition:

Provided that such acquisition does not result in change in control of such enterprise.

5. An acquisition of shares or voting rights, where the acquirer or its group entities, prior to acquisition, has more than fifty per cent. shares or voting rights in the enterprise whose shares or voting rights are being acquired, except in the cases where the transaction results in change in control of such enterprise.

6. An acquisition of assets of an enterprise in ordinary course of business.— The acquisition of assets of an enterprise shall be treated as in ordinary course of business provided that said acquisition involves acquisition of stock-in-trade, raw materials, stores and spares, trade receivables or other similar current assets that do not constitute business.

7. An acquisition of assets, not directly related to the business activity of the party acquiring the asset or made solely as an investment, not leading to control of the enterprise whose assets are being acquired except where the assets being acquired represent substantial business operations in a particular location or for a particular product or service of the enterprise, of which assets are being acquired, irrespective of whether such assets are organised as a separate legal entity or not.

8. An acquisition of shares pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or buy back of shares or subscription to rights issue of shares, not leading to a change in control.

9. An acquisition of assets by one person or enterprise, of another person or enterprise within the same group, except in cases where there is change in control over assets being acquired.

10. A merger or amalgamation of enterprises within the same group provided that the transaction does not result in change in control.

11. Acquisition of shares, control, voting rights or assets by a purchaser approved by the Competition Commission of India pursuant to and in accordance with its order under section 31 of the Act.

12. Demerger of a company and issue of shares by resulting company, in consideration of demerger, either to the demerged company or to the shareholders of the demerged company in the proportion of their shareholding in the demerged company prior to the demerger, except for discharge of consideration for fractional shares.

13. For the purpose of this schedule,—

(1) The acquirer and its group entities mean the ultimate controlling person of the acquirer and other entities forming part of the same group.

(2) An entity is considered to be an affiliate of another enterprise if that another enterprise has—

(i) ten per cent. or more of the shareholding or voting rights of the enterprise; or

(ii) right or ability to have a representation on the board of directors of the enterprise either as a director or as an observer; or

(iii) right or ability to access commercially sensitive information of the enterprise.

[F. No. Comp-05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.09.09 16:10:37 +05'30'